न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 04/26 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2026/7

अनवान्

1. श्री अमरा पिता दला गायरी निवासी विठोली तहसील घासा।
2. श्री मांगीलाल पिता कुका उर्फ देवा गायरी निवासी विठोली तहसील घासा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहन पिता परथा गायरी निवासी विठोली तहसील घासा।
2. श्रीमती केसी पत्नी स्व. भोला गायारी निवासी विठोली तहसील घासा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, तहसील घासा।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पुष्पा सेन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री हार्दिक चेचानी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 19.02.2026

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा में प्रार्थीगण की क्रयशुदा आधिपत्य व उपयोग उपभोग की जायदाद कृषि भूमि स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1082, 1083, 1150, 1151, 1152, 1153, 1172, 713, 992, 993 किता 11 कुल रकबा 5.6978 हेक्टेयर हैं।
2. यह कि उक्त कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 1 के ससुर व विपक्षी संख्या 2 के पति स्व. श्री भोला जी गायरी पिता कन्ना जी गाडरी द्वारा प्रार्थी संख्या 1 अमरा जी व विपक्षी संख्या 2 मांगीलाल के पिता कुकाजी उर्फ देवाजी के पक्ष में एक विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1960 को 12 रूपये के स्टाम्प पर लिखतम निष्पादित कर दो गवाहान की उपस्थिति में अपने अंगुठा निशानी कर प्रार्थीगण को विक्रय कर उसका कब्जा सिपूर्द किया था, तब से प्रार्थीगण व उनके परिजन उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न बाधा के कृषि कार्य कर रहे है, उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा काफी लागत लगाकर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया व वर्तमान में उक्त भूमि पर पानी की मोटर व बिजली कनेक्शन वगैरह अमरा जी गायरी द्वारा कई वर्षों पूर्व लिया गया था, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

आज भी बिना किसी विघ्न बाधा के अनवरत सिंचाई के कार्य में उपयोग में लिया जा रहा हैं। उक्त विक्रय पत्र का लिखतम श्री जेठालाल कोठारी निवासी मावली द्वारा दो गवाहान की उपस्थिति में लिखकर श्री भोला जी गायरी को पढकर सुनाकर व संतुष्ठ होने के बाद दोनो गवाहान व समाज के अन्य लोगों की उपस्थिति में भोलाजी के अंगुठा निशानी करवायी थी, तब से आज दिनांक तक प्रार्थीगण उक्त जमीन पर अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे है तथा समय समय पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का लगान जमा करवाया गया था, जिसकी स्वीकारोक्ति की भी लिखतम निष्पादित की गई थी।

3. यह कि प्रार्थीगण का सजरा निम्नानुसार हैं :–

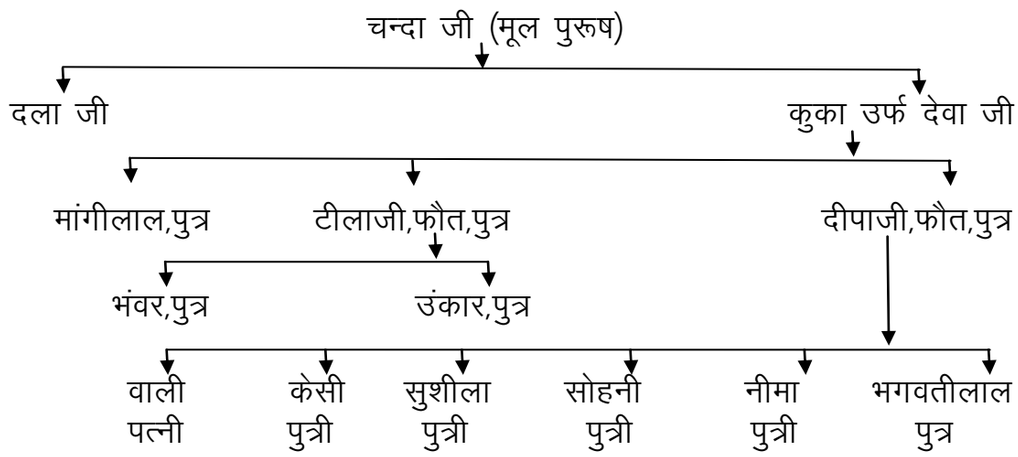

4. यह कि वर्ष 1960 के बाद से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य चले आ रहे है, लेकिन विगत 10–15 दिन पूर्व जब प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे, तब विपक्षी संख्या 1 व 2 आये और प्रार्थीगण को धमकी देते हुए कहने लगे कि उक्त कृषि भूमि उनकी है और प्रार्थीगण को बाधा पहुंचाने की नियत से प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि से बाहर जाने हेतु कहने लगे, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा स्थानीय राजस्व कार्यालय में जाकर पता करने पर ज्ञात हुआ कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से श्री भोला गायरी की मृत्यु का फायदा उठाकर उसकी पत्नी केसी गायरी के साथ नाजायज रूप से साठ गाठ कर उक्त कृषि भूमि का पंजीयन अपने पक्ष में करवा लिया है और उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी अपने पक्ष में खुलवा लिया हैं। जिससे प्रार्थीगण काफी हैरान व आश्चर्यचकित हो गये और उनके द्वारा श्रीमती केसी को श्री भोला गायरी द्वारा विक्रय किये गये विक्रय पत्र के बारे में अवगत कराया तो विपक्षीगण द्वारा हमसलाह होकर यह कथन किया गया कि हम किसी विक्रय पत्र को नही मानते हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा [illegible] रिकार्ड को छुपाते हुए उसकी 4 पुत्रीया होने के बावजूद भी केवल मात्र उसके स्वयं [illegible] नाम पर स्व. भोलाजी गायरी की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि का नामान्तरण खुलवाकर बिना किसी को जानकारी दिये बालोबाल विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उक्त कृषि भूमि का विक्रय कर दिया जो कानूनन रूप से अवैध हैं। प्रार्थीगण द्वारा अनेको बार विपक्षी संख्या 2 के समक्ष उक्त भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन करवाने हेतु निवेदन किया था लेकिन विपक्षी संख्या 1, 2 के मन में शुरू से उक्त कृषि भूमि को हडप करने की बदनियति थी और प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के होने से व पढे लिखे नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या 1 व 2 की बदनियति को नहीं समझ सके थे, इसलिए विपक्षी संख्या 2 द्वारा जानबुझकर प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि से वंचित करने की नियत से उक्त विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1960 का पंजीयन नहीं करवाया और यह जानते हुए कि स्व. भोला गायरी द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में उक्त कृषि भूमि के विक्रय पत्र की लिखतम निष्पादित कर रखी है तो भी कानून को हाथ में लेकर उक्त भूमि का पंजीयन विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में करवा दिया और उसके नामान्तरण की स्वीकृति प्राप्त कर ली जो न्याय की अवहेलना हैं। उक्त भूमि पर आज भी प्रार्थीगण बिना किसी विघ्न बाधा के कृषि कार्य कर रहे है और उनके द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन से पानी की मोटर से सिंचाई वगैरह कर रहे हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण मौके पर उक्त कृषि भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग वर्ष 1960 से करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से खातेदारी अधिकार से वंचित हो गये हैं जिससे हम प्रार्थीगण के नाम पर हक व हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। जिसकी घोषणा व डिक्री किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हैं। हम प्रार्थीगण ने अपने नाम पर अमल दरामद करवाने के लिए विपक्षी संख्या 2 को कई बार मौखिक रूप से निवेदन भी किया, लेकिन विपक्षी संख्या 2 ने कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि उक्त कृषि भूमि आपकी ही है मेरे पति ने आपको ही बेची है और कब्जा तो आपका ही है जब भी जरूरत होगी आपके नाम पर करवा देगें। एक ही समाज के होने के नाते समय निकलता गया। अब विपक्षी संख्या 2 ने हम प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करवाने यथा विक्रय पत्र पंजीयन कराने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया और सन् 2014 में उसके द्वारा विपक्षी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया तब प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की और कानूनी सलाहकार से मिलकर अविलम्ब ही यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि दस्तावेज प्राप्त करने व प्रमाणित प्रतिलिपीया मिलने की दिनांक से अन्दर म्याद हैं। प्रार्थीगण ने जानबुझकर कोई देरी नहीं की हैं। केवल मात्र विश्वास में व स्वजातीय होने से तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा देने का विश्वास होने से व स्वजातीय व महिला होने के कारण किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। अभी वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को उक्त वर्णित कृषि भूमि में कृषि कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

करने से मना कर दिया और उक्त कृषि भूमि स्वयं की बताते हुए ट्रेक्टर वाले को फसल की बुवाई नहीं करने देने से वादकारण उत्पन्न होकर लगातार आज दिनांक तक जारी हैं।

6. यह कि अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में ही है चूंकि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है एवं इसके विपरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है एवं वाद की बहुलता तथा अन्य दिवानी व फौजदारी प्रकरण बढने की सम्भावना समाप्त होगी। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि आराजीयात को रहन, बैह, बक्षीस, हस्तान्तरण नहीं करे तथा भौतिक परिवर्तन नहीं करे एवं ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और ना ही किसी मित्र, एजेन्ट, रिश्तेदार के माध्यम से करावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की क्रयशुदा व आधिपत्य की है अस्वीकार है क्योंकि उक्त भूमि मुझ विपक्षी संख्या 1 की क्रयशुदा भूमि है जो मुझ विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 31.07.2014 को दो अलग अलग विक्रय पत्र के पंजीयन करवा क्रय की गई, जिस पर मैं विपक्षी संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हुं जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। उक्त भूमि का विक्रय पत्र मुझ विपक्षी संख्या 1 के ससुर एवं विपक्षी संख्या 2 के पति स्व. श्री भोला जी गायरी द्वारा कभी विक्रय नहीं की गई ना ही प्रार्थीगण का कभी कब्जा ही रहा है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.05.1960 को जिस स्टाम्प दस्तावेज का उल्लेख किया गया है उस स्टाम्प में आराजी संख्या का कही भी उल्लेख नहीं किया गया एवं ना ही पूर्ण स्टाम्प पर होकर पंजीकृत भी नहीं हैं। जिससे उक्त स्टाम्प की सत्यता एवं प्रमाणिकता संदेहास्पद है जिससे यह तथ्य साबित नहीं होता है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई हैं। प्रार्थीगण ने मात्र एक फर्जी एवं बनावटी दस्तावेज के आधार पर तथा गलत व मिथ्या कथनों से मात्र कब्जा बनाकर माननीय न्यायालय में गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य हैं। यदि वर्ष 1960 में कोई दस्तावेज निष्पादित होता तो प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा कोई कार्यवाही की जाती जो कि आज दिनांक तक मुझ विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व नहीं की गई हैं। वर्तमान में मैं विपक्षी संख्या 1 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित हो चुका हुं तथा जमाबन्दी में भी मैं विपक्षी संख्या 1 खातेदार के राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा 1960 से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं ना ही कभी कब्जा प्राप्त करने का प्रयास ही किया गया। मुझ विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूमि के क्रय समय 2014 से कब्जा चला आ रहा है एवं उससे पूर्व विपक्षी संख्या 2 के परिवारजन एवं पूर्वजो का उक्त भूमि पर आधिपत्य रहा हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने आधिपत्य के सम्बन्ध में कोई लगान की रसीद भी पेश नहीं की हैं। प्रार्थीगण द्वारा मात्र गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

8. यह कि प्रार्थीगण द्वारा मात्र मनगढन्त एवं बनावटी तथ्यों का अंकन किया गया है जो वास्तविकता से परे है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी भी ना तो कब्जा रहा है, ना ही कभी भी उपयोग उपभोग ही किया गया हैं। उक्त भूमि का मुझ विपक्षी संख्या 1 द्वारा क्रय के वक्त से ही स्वतन्त्र रूप से उपयोग उपभोग किया जा रहा है एवं मुझ विपक्षी संख्या 1 के क्रय से पूर्व विपक्षी संख्या 2 एवं परिवारजन का उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य गलत अंकित किया है कि हम विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को वाद वर्णित कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने से रोका एवं धमकी दी। यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण का कोई धमकी दी गई होती तो प्रार्थीगण उसी दिन पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते जो कि प्रार्थीगण द्वारा नहीं दी गई इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य गलत अंकित किये है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और ना ही केसी गायरी (विपक्षी संख्या 2) के साथ नाजायज रूप से उक्त कृषि भूमि का पंजीयन अपने पक्ष में करवाया है बल्कि सत्यता यह है कि स्वयं केसी गायरी (विपक्षी संख्या 2) ने पंजीयन कार्यालय में आकर स्वेच्छा से एवं सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर अपने नाम दर्ज वाद वर्णित कृषि आराजीयात को मुझ विपक्षी संख्या 1 के नाम पंजीकृत करवाया हैं। प्रार्थीगण द्वारा मुझ विपक्षी संख्या 2 को कभी भी अवगत नहीं करवाया गया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा क्रय की गई एव ंना ही मुझ विपक्षी संख्या 2 के पूर्वजो द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया। प्रार्थीगण द्वारा कभी भी मुझ विपक्षी संख्या 2 को उक्त कृषि भूमि का पंजीयन अपने पक्ष में करवाने के लिए नहीं कहा और ना ही कभी भी किसी प्रकार का कोई विक्रय ईकरार की पालना बाबत् पंजीकृत सूचना पत्र प्रार्थीगण द्वारा भिजवाया गया जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज फर्जी एवं बनावटी हैं। वर्तमान में जमीनों के दाम बढ जाने से प्रार्थीगण के मन में लालच आ जाने व बदनियति उत्पन्न हो जाने से प्रार्थीगण द्वारा बनावटी दस्तावेज का उपयोग कर मुझ विपक्षी संख्या 1 की भूमि पर कब्जा करने व नाजायज रूप से अपने नाम दर्ज करवाने हेतु बनावटी तथ्यों के आधार पर आप न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि प्रार्थीगण का वाद वर्णित आराजीयात पर कोई कब्जा एवं आधिपत्य नहीं है और ना ही वर्ष 1960 से प्रार्थीगण के पूर्वजो का एवं प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1960 की जो लिखतम बतायी गयी है वह अपंजीकृत एव अस्टाम्पित है और किसी भी अपंजीकृत एवं अस्टाम्पित दस्तावेज के आधार पर किसी प्रकार का हक हिस्सा एवं घोषणा कराने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं और प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1960 से आज दिनांक तक उक्त वाद वर्णित आराजीयात को अपने पक्ष में दर्ज करवाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही हम विपक्षीगण एवं हमारे पूर्वजों के विरूद्व नहीं की गई है। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज पूर्णतः फर्जी एवं बनावटी हैं। विपक्षी संख्या 2 के पति द्वारा यह भूमि कभी प्रार्थीगण को विक्रय की ही नहीं गई एवं ना ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के सन्दर्भ में कभी अपने नाम दर्ज करवाने व पंजीयन करवाने हेतु कहा ही गया। प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण वाद में किये गये कथन मिथ्या व बनावटी हैं। प्रार्थीगण को उक्त बात की जानकारी होने के बाद भी उन्होने हम विपक्षीगण के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं करने से भी उक्त प्रार्थना पत्र मयाद बाहर हैं। मुझ विपक्षी द्वारा उक्त भूमि सन् 2014 में विपक्षी संख्या 1 से क्रय की तब से मेरे ही आधिपत्य में है। प्रार्थीगण इस दौरान उक्त भूमि पर ना तो कभी आये ना ही कब्जा प्राप्त करने का कोई प्रयास ही किया गया।

10. यह कि उक्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा ना तो क्रय की गई ना ही कभी आधिपत्य ही रहा है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है एव ंना ही प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविधा संतुलन का बिन्दू है जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी हम विपक्षीगण के पक्ष में हैं। अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी हम विपक्षीगण के पक्ष में है क्योंकि मुझ विपक्षी संख्या 1 द्वारा वाद वर्णित कृषि आराजीयात विपक्षी संख्या 2 से वर्ष 2014 में दो पंजीकृत दस्तावेजो के निष्पादन करवा पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय की गई। अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी हम विपक्षीगण के पक्ष में हैं। जिससे प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के पक्ष में किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है एवं मैं विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि का एकमात्र स्वामी होकर उक्त भूमि मुझ विपक्षी के आधिपत्य एवं स्वामित्व में है एवं रेकार्डेड खातेदार होने से मुझ विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। यदि न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो मुझ विपक्षी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकती हैं।

11. **विशेष कथन प्रस्तुत** कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने जिस मुख्य दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर घोषणा चाही गई है वो दस्तावेज वर्ष 1960 का निष्पादित होकर एक अपंजीकृत एवं अस्टाम्पित दस्तावेज है, मात्र एक बिकावनामा (टिप) के आधार पर उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थना पत्र उक्त आधार पर चलने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुख्य दस्तावेज अपंजीकृत है जिससे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अन्तर्गत कोई भी अचल सम्पति जिसका मूल्य 100/— रूपये से अधिक है, उस सम्पति के हस्तान्तरण के दस्तावेज का पंजीयन कराया जाना आवश्यक है जबकि उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुख्य दस्तावेज अस्टाम्पित है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शूल्क अदा नहीं किया गया हैं। स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत कोई भी दस्तावेज जो विक्रय की श्रेणी में है उसके लिए पूर्ण स्टाम्प लगाया जाना स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नियमानुसार स्टाम्प पर निष्पादित नहीं हैं।

12. यह कि प्रार्थीगण ने मुख्य दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त सम्पति को वर्ष 1960 में विक्रय किया हुआ मानकर वाद प्रस्तुत किया है परन्तु उक्त दस्तावेज की पालना का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है जिससे माननीय राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा जिस मुख्य दस्तावेज के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है उसका श्रवणाधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा न्याय शूल्क बचाने के लिए राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य हैं। वाद आधारित दस्तावेज सन् 1960 में निष्पादित होना बताया है एवं वाद पत्र 60 वर्षों के बाद प्रस्तुत किया गया है जिससे भी वाद मयाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य हैं।

13. यह कि प्रार्थीगण द्वारा सन् 1960 में उक्त भूमि का विक्रय होकर क्रय किया जाने का तथ्य प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रार्थीगण का आज दिनांक तक उक्त दस्तावेज वर्णित भूमि पर ना तो कब्जा रहा है ना ही कभी भी प्रार्थीगण द्वारा उक्त दस्तावेज वर्णित भूमि का उपयोग उपभोग ही किया जा रहा है जबकि सम्पति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत किसी भूमि के विक्रय के समय कब्जा सुपुर्द किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है परन्तु उक्त दस्तावेज में वर्णित भूमि पर विगत 60 वर्षों से विपक्षीगण एवं उनके परिवार का ही कब्जा है जिससे प्रार्थीगण का उक्त दस्तावेज स्वतः शून्य है एवं शून्य दस्तावेज के आधार पर कोई भी प्रकरण न्यायालय में चल नहीं सकता, जिससे प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य हैं। किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को प्रथम दृष्टया सिविल न्यायालय से निरस्त [illegible] जाना आवश्यक हैं। जब तक सिविल न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज को डिक्री द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है तब तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

मात्र कब्जे के आधार पर घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं विशेष कथनों पर मनन करते हुए प्रार्थीगण द्वारा हम विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र आधारहीन, मिथ्या व बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें एवं हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावें।

14. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 2 के पति भोला के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं जो विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई। विपक्षी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2014 से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय कर दी।

प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 के ससुर व विपक्षी संख्या 2 के पति भोला गायरी द्वारा प्रार्थीगण के पिता कुका उर्फ देवाजी को दिनांक 31.05.1960 को बिल एवज 600 रूपये में विक्रय की जिसका बेचाननामा स्टाम्प कीमती 12 रूपये पर लिखापढी की। यदि प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया गया था तो आज दिनांक तक अपने नाम दर्ज क्यों नही करवाई। प्रार्थीगण स्वयं द्वारा 66 वर्ष पश्चात अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिसकी सत्यता के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। जिसे मूल वाद में साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तय किया जा सकेगा। वाद वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है। खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार नही है। विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। विपक्षी संख्या 1 खातेदार होने से यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने हिस्से की भूमि पर लोन, रहन भी नहीं ले सकता हैं तथा ना ही उक्त भूमि का बेचान कर सकता हैं जिससे उसे अपने परिवार के पालन पोषण हेतु काफी असुविधाओं का सामना करना पडेगा। इसलिए रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को पाबंद किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति–* प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि दिनांक 31.05.1960 को बिल एवज 600 रूपये में क्रय की जिसका बेचाननामा स्टाम्प कीमती 12 रूपये पर खातेदार भोला ने निष्पादित करवाया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि यदि प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया गया था तो आज दिनांक तक अपने नाम दर्ज क्यों नही करवाई। प्रार्थीगण स्वयं के कथनानुसार प्रार्थीगण द्वारा 66 वर्ष पश्चात अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिसकी सत्यता के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी वादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2014 से क्रय की गई एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 05.01.2026 को प्रस्तुत किया जो लगभग 12 वर्ष पश्चात् पेश किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 224 पर दर्ज आराजी नम्बर 1082, 1083, 1150, 1151, 1152, 1153, 1172, 713, 714, 992, 993 किता 11 कुल रकबा 5.6978 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज है।

प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि दिनांक 31.05.1960 को बिल एवज 600 रूपये में क्रय की जिसका बेचाननामा स्टाम्प कीमती 12 रूपये पर खातेदार भोला ने निष्पादित करवाया। प्रार्थीगण द्वारा 66 वर्ष पश्चात अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिसकी सत्यता के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। जिसे मूल वाद में साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तय किया जायेगा। वाद वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने वाले क्रेता को पाबंद नही किया जा सकता है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित हुए है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:19 IST
Reason: SelfAttested